प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक 06.04.2025

- **थाना रूरा क्षेत्रान्तर्गत हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद चाकू बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रूरा पर वादी श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व0 सोनेलाल निवासी ग्राम सलेमपुर काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रूरा पर दिनांक 31.03.2025 को मु0अ0सं0 091/2025 धारा 103(1)74/331(4) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात बनाम सूरज उर्फ छोटू पुत्र दिनेश चन्द्र निवासी ग्राम सलेमपुर काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में नामजद आरोपी सूरज उर्फ छोटू उपरोक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई व प्राप्त तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात हुआ कि मुकदमा उपरोक्त में नामित आरोपी द्वारा हत्या को अंजाम नहीं दिया गया है बल्कि प्रकाश में आये अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा मृतक किशोरी की बड़ी बहन से शादी न हो पाने व अन्यत्र शादी तय हो जाने के कारण किशोरी की बड़ी बहन की हत्या करने का षड्यन्त्र रचा, जिसमें दिनांक 30/31.03.2025 की रात्रि के दौरान बड़ी बहन समझ कर किशोरी को चाकू से गोद कर घायल कर दिया था जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुये दिनांक 06.04.2025 को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त को मय आला कत्ल 01 अदद चाकू के गहलो रिन्द नदी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त शुभम सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं अपने गांव की लड़की से पिछले 10 साल से प्यार करता हूँ। वह भी मुझसे हमेशा अच्छे से बात करती है मैं उसको काफी समय से अपने साथ शादी करने व साथ भाग चलने के लिए मना रहा था लेकिन लड़की मेरी बात नहीं मान रही थी और उसने अब मुझसे बातचीत करना भी बंद कर दिया। अभी हाल ही में उसकी शादी भी तय हो गयी थी। इस बात से मैं बहुत नाराज था। जब मैं होली में घर आया था मैने आरती को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। तब मैने आरती को धमकाया भी था कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो, मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूँगा। लेकिन इस पर भी आरती नहीं मानी। इसके बाद मैने उसको मार देने का मन बना लिया था और इसी योजना के तहत 30/31.03.2025 की रात में लगभग 10:30 बजे लड़की की हत्या करने के उद्देश्य से चाकू लेकर उसके घर ग्राम सलेमपुर गया था। घर पर सभी सोए हुए थे।

उस समय गांव में लाइट नहीं थी, लड़की के घर में अन्धेरा था। मैं मौका पाकर सामने के रास्ते से उनके घर में घुस गया और भेड़ो के बाड़े के बराबर से पड़ी हुई दो चारपाईयो में से जिसमें दूसरे नम्बर की चारपाई पर सोई हुई लड़की के गले पर चाकू से जानलेवा प्रहार कर दिया। मैने कुल दो वार किये थे जिस पर उसकी चीखें निकल गयी थीं और घर वाले चौंक कर जग गये थे। तब मैं वहाँ से तेजी से निकला। फिर मैं गांव सलेमपुर के भीतर आरसीसी मार्ग से होता हुआ खेतों-खेतों अपनी गाड़ी पर पहुंचा और गाड़ी लेकर गहिरा चौराहे की तरफ बढ़ा। वहीं रास्ते पर मैंने ग्राम रायपुर में हनुमान मंदिर जखई देवी मंदिर के पहले दाहिनी तरफ खम्भे के पास वह खून से सना हुआ चाकू फेंक दिया था। यदि आप चाहे तो मैं आपको वह चाकू खुद चलकर बरामद करा सकता हूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. शुभम् सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर काशीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद चाकू ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 0091/2025 धारा 103(1) बी.एन.एस व बढोत्तरी धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना रूरा जनपद कानपुर देहात

<u>गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक जनार्दन प्रताप सिंह

2. उ0नि0 शोभित कटियार

3. कां0 जितेन्द्र सिंह

4. कां0 विवेक सिंह